कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-- 1139 /आगरा/24614/2017, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 24, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा--ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक--1914/14--1, दिनांक 12.10.2017,
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक--47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित दिशा--निर्देशों का बिना संज्ञान लिये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके कारण प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं:--

1-- प्रस्ताव के साथ संलग्न किसी भी अभिलेख पर प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ तिथि एवं नाम अंकित नहीं है। अंकित करें।

2-- प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लंघन की स्थिति व संस्तुति अंकित नहीं की गयी है।

3-- प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि कैन्ट क्षेत्र में प्रभावित 1.68 हे0 भूमि गैर वनभूमि है, किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची एवं ऑनलाइन पार्ट--2 पर कैन्ट क्षेत्र में प्रभावित उक्त 1.68 हे0 गैर वनभूमि पर अवस्थित एवं पातन होने वाले वृक्षों का विवरण भी अपलोड किया गया है, जो सुसंगत नहीं है।

4-- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल एवं प्रस्तावित वनभूमि की सी0डी0 संलग्न नहीं है।

5-- एन0पी0वी0 की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुयी अतिरिक्त धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। उल्लेख कर संलग्न करें एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संशोधित वचनबद्धता संलग्न ऑनलाइन पार्ट--2 पर भी अपलोड करें।

6-- प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी पर अधिकृत सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं किया गया है।

7-- ऑनलाइन पार्ट--2 के Additional Information Detail में आवश्यक अभिलेख यथा : प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि की गणना, मानक शर्तें, संयक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 जमा करने की वचनबद्धता, मक डिस्पोजल योजना, एन0पी0वी0 की गणना क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण--पत्र आदि अभिलेख अपलोड कर ऑनलाइन पार्ट--2 की संशोधित हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

8-- प्रस्तावित स्थल टी0टी0जेड0 क्षेत्रान्तर्गत है या नहीं ? है, तो सक्षम स्तर से वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त कर ऑनलाइन पार्ट--2 के Additional Information Detail में अपलोड कर, प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9-- ऑनलाइन पार्ट--1 के बिन्दु--ए--1 (2 व 3) में किमी0 चैनेज उल्लिखित नहीं है, अंकित करें।

10-- प्रस्ताव के साथ संलग्न अधिकतर अभिलेखों पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित नहीं है, अंकित करें।

11-- प्रस्ताव के साथ कई अभिलेख दो बार संलग्न किये गये हैं। ऐसे अभिलेखों को प्रस्ताव से पृथक कर दें।

12-- उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर कमवार पृष्ठ संख्या एवं तदनुसार विषय सूची को अपडेट करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि. 23.06.2017 द्वारा प्राप्त दिशा--निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त का भी संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं आफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

24/10

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-- / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, आगरा को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड--1, लो0नि0वि0, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, आगरा को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

Q